

UPFD010070742023



**न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।**

अन्तिम आख्या सं०-858/2023
ललित कुमार बनाम श्रीमती जलेबश्री।

अपराध संख्या-252/2022
धारा-363, 366 भा०दं०सं० व
धारा-16/17 पोक्सो एक्ट
थाना-नारखी, जिला फिरोजाबाद।

दिनांक:- 12-10-2023

उभय पक्ष की बहस पूर्व तिथि पर सुनी जा चुकी है। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

वादी ललित कुमार ने अन्तिम आख्या संख्या-858/2023, दिनांकित 19-06-2023 के विरुद्ध आपत्ति 6 ब, मय शपथपत्र 7 ब (श्रीमती जलेबश्री के विरुद्ध) प्रस्तुत की है।

अन्तिम आख्या संख्या-858/2023, दिनांकित 19-06-2023 से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या-252/2022, पी०एस०टी० संख्या-777/2023, राज्य बनाम बालकिशन की पत्रावली, जो इस अन्तिम आख्या के साथ आज नियत है, का सम्यक् अवलोकन किया।

वादी ललित कुमार ने कहा कि उसकी नाबालिग पुत्री लक्ष्मी, उम्र करीब 16 वर्ष, जो दिनांक 25-05-2022 को लगभग 10:00 बजे रात में अपने साथ पचास हजार रुपये नगद, एक जोड़ी झाले (1.5 तोला), चार अंगूठी (1 तोला), टॉप्स (1 तोला), एक लर पैण्डल (1.5 तोला) तथा चाँदी की तोड़ियाँ (100 ग्राम) आदि सामान लेकर गायब हो गयी, जिसके पास मोबाइल नं०-8273273415 है। काफी खोजबीन के बाद भी पता नहीं चला है। वादी ने अज्ञात के विरुद्ध थाना नारखी में, घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 26-05-2022 को 10:30 बजे सुबह अन्तर्गत धारा-363 भा०दं०सं० तहरीर कागज संख्या-3अ/4 के आधार पर दर्ज कराई।

विवेचक ने विवेचना के उपरान्त अभियुक्त बालकिशन के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम में दाखिल किया और श्रीमती जलेबश्री पत्नी धर्मवीर सिंह के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-363, 366 भा०दं०सं० व धारा-16/17 पोक्सो अधिनियम में विवेचना प्रचलित रखी। आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा दिनांक 29-03-2023 को संज्ञान लेकर अभियुक्त बालकिशन के

विरुद्ध धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम में दिनांक 13-04-2023 को आरोप विरचित किया। पत्रावली वादी ललित की साक्ष्य हेतु नियत चल रही है, जिसमें अग्रिम तिथि 12-10-2023 नियत है।

केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि पर्चा सं० -1, दिनांकित 26-05-2022 में विवेचक राकेश सिंह यादव, उ०नि० ने वादी ललित कुमार का बयान अंकित किया। केस डायरी के पर्चा सं० -2, दिनांकित 31-05-2022 में पीड़िता लक्ष्मी के टूण्डला चौराहे से बरामदगी के उपरान्त उसका बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं० अंकित किया, जिसमें पीड़िता लक्ष्मी ने कहा कि - मैं कक्षा-12 तक पढ़ी हूँ तथा मेरी उम्र 19 वर्ष है। मैं अपने घर से दिनांक 24-05-2022 को रात समय 21:30 बजे हम बस पकड़ कर एटा पहुंचे, वहाँ से, बस से पंजाब पहुंचे। वहाँ पर मन्दिर पर रहे थे। उसी मन्दिर में हम दोनों ने शादी कर ली। फिर तीन दिन होटल में रहे थे। होटल में हम दोनों पति-पत्नी की तरह रहे थे। हमारे बीच बाल किशन पुत्र धनीराम, निवासी कथनी, जिला एटा में तीन बार अपनी सहमति से शारीरिक संबंध बनाये। हमें घर वापस नहीं जाना है।

केस डायरी के पर्चा सं० -3, दिनांकित 02-06-2022 में पीड़िता लक्ष्मी ने डा० प्रेरणा कौशल को अपना आन्तरिक व बाह्य परीक्षण कराने से मना किया, केवल आयु निर्धारण की बावत उसका चिकित्सीय परीक्षण किया, जिसमें उसकी आयु लगभग 17 वर्ष निर्धारित की गयी। पीड़िता लक्ष्मी की आयु संबंधी प्रमाणपत्र हाईस्कूल की ऑनलाइन अंक तालिका में पीड़िता लक्ष्मी की जन्मतिथि 09-05-2005 अंकित है, जिसके अनुसार पीड़िता घटना की दिनांक को 16 वर्ष, 11 माह, 16 दिन की होती है, जो नाबालिग है।

केस डायरी के पर्चा सं० -4, दिनांकित 03-06-2022 में पीड़िता लक्ष्मी का धारा-164 दं०प्र०सं० का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष अंकित कराया, जिसमें पीड़िता लक्ष्मी ने अपनी उम्र 16 वर्ष बताते हुए कहा कि - मेरे माँ बाप मुझे पर गुस्सा कर रहे थे। काम को लेकर मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए मैं बिना बताये चली गयी थी। मैं घर से पिछले महीने की 24 तारीख को गयी थी। मैं अपने मामा के घर चली गयी थी। दिनांक 30-05-2022 को मैं वापस घर आ गयी थी। अब मैं अपने चाचा चाची के पास जाना चाहती हूँ। मुझे अपने माँ बाप के साथ नहीं जाना है। मैं अपने घर से, अपनी मर्जी से गयी थी।

विवेचक ने केस डायरी के पर्चा सं० -6, दिनांकित 06-06-2022 में सी०डब्लू०सी० के निर्देश पर पीड़िता लक्ष्मी का आन्तरिक मेडीकल परीक्षण व पुनः बयान धारा-164 दं०प्र०सं० न्यायालय के समक्ष दर्ज कराना सुनिश्चित किया।

केस डायरी के पर्चा सं० -7, दिनांकित 23-06-2022 में वादी ललित कुमार के प्रार्थनापत्र पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद द्वारा मामले की विवेचना थाना नारखी से स्थानान्तरित करके थाना पचोखरा द्वारा अग्रिम विवेचना किए जाने का आदेश पारित किया।

विवेचक ने केस डायरी के पर्चा सं०-8, दिनांकित 24-06-2022 से न्यायालय में पुनः धारा-164 दं०प्र०सं० का बयान कराने के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद ने आदेश दिनांक 07-06-2022 से निरस्त कर दिया। आदेश का उल्लेख केस डायरी के पर्चा सं०-8, दिनांकित 24-06-2022 में किया है।

केस डायरी के पर्चा सं०-9, दिनांकित 02-07-2022 में वादी ललित कुमार के प्रार्थनापत्र दिनांक 19-06-2022 के साथ प्रो० एस०पी० सिंह बघेल, सांसद के कवरिंग लैटर के माध्यम से उक्त मामले की विवेचना एस०एस०पी०, फिरोजाबाद ने थाना नारखी से थाना पचोखरा में स्थानान्तरित की गयी। पूर्व विवेचक श्री राकेश सिंह यादव, थाना नारखी के स्थान पर थाना प्रभारी पचोखरा द्वारा अग्रिम विवेचना करने हेतु श्री सुनील चन्द्र, उ०नि० को आदेशित किया।

केस डायरी के पर्चा सं०-10, दिनांकित 05-07-2022 में विवेचक ने वादी ललित कुमार का मजीद बयान अंकित किया, जिसमें उसने पूर्व बयान से इतर बयान देते हुए कहा कि मेरी पुत्री लक्ष्मी को पकड़ कर थाना नारखी लाया गया, तब मैं जान पाया कि मेरी पुत्री को बालकिशन पुत्र धनीराम भगा ले गया था। जब मेरी पुत्री घर आई तो उसने बताया कि बालकिशन ने मुझे फोन करके घर से जाने को कहा था और कहा था कि गाड़ी लेकर गाँव के बाहर खड़ा हूँ, तुम घर से आ जाओ। मेरी पुत्री उसके साथ गाड़ी में बैठ कर जिला एटा बस स्टेण्ड पहुंच गयी, वहाँ से पुत्री को बालकिशन बस में बैठा कर अपने साथ लुधियाना, पंजाब ले गया। दिनांक 26-05-2022 को बालकिशन ने मेरी पुत्री को अपनी ननिहाल ग्राम हथौला, एटा के जेल के पीछे ले गया और दिनांक 30-05-2022 तक वहीं रहे। पूर्व बयान के अनुसार कि मुझे लुधियाना, पंजाब ले गया, के विपरीत है। वादी ललित ने यह मजीद बयान अपनी पुत्री के घर वापस आने के बाद, बताने के आधार पर दिया है।

विवेचक ने केस डायरी के पर्चा सं०-12, दिनांकित 02-08-2022 में पीड़िता लक्ष्मी के मामा से जानकारी की तो मामा रकेन्द्र पुत्र जगदीश ने बताया है कि मेरी बहन नीतू और बहनोई का नाम ललित है। बहन की ससुराल ग्राम ढकई, नारखी में है। उनके एक लड़का अंकित तथा तीन लड़कियाँ हैं। सबसे बड़ी अन्नू, बीच में लक्ष्मी व सबसे छोटी मनु है। मेरी भांजी लक्ष्मी, उम्र 16 वर्ष, मौहल्ले की रिश्ते में लगने वाली चाची जलेबश्री, जिसका मायका सकरौली में है, जलेबश्री का भतीजा बालकिशन, जो जलेबश्री के घर आता जाता था, मेरी भांजी लक्ष्मी से बातचीत करने लगा था और वही मेरी भांजी लक्ष्मी को बहला फुसला कर, रूपये, जेवरात के साथ ले गया था। अब वह घर आ गयी है।

साक्षी ने यह भी कहा कि लक्ष्मी दिनांक 25-05-2022 के बाद हमारे घर अकेली या बालकिशन के साथ नहीं आई। लक्ष्मी ने झूठ कहा है। इसी कथन का समर्थन पीड़िता लक्ष्मी के दूसरे मामा रूपेन्द्र ने किया है। पीड़िता लक्ष्मी के नाना जगदीश सिंह ने बताया कि मेरी धेवती लक्ष्मी, उम्र 16 वर्ष मेरे यहाँ तीन वर्ष से नहीं आई है। वह बालकिशन व जलेबश्री

के दबाव में झूठ कह रही है कि मामा से बात हुई थी, जबकि वह यहाँ नहीं आई थी। नाना के कथन का समर्थन भगवानवती उर्फ भागवती (नानी) ने भी किया है। अन्य साक्षी योगेन्द्र कुमार व मिथलेश ने कहा कि नीतू रिश्ते में मेरी ननद हैं। नीतू की लड़की लक्ष्मी, बालकिशन के साथ चली गयी थी। लक्ष्मी यहाँ पर नहीं आई। साक्षी अवनीति पत्नी रकेन्द्र ने पूर्व गवाहों के कथनों का समर्थन किया है। विवेचक के अनुसार पीड़िता व अन्य साक्षियों के बयानों के आधार पर बालकिशन व जलेबश्री के नाम प्रकाश में आये हैं।

केस डायरी के पर्चा सं०-13, दिनांकित 18-08-2022 में पीड़िता लक्ष्मी की बड़ी बहन अनू ने कहा कि लक्ष्मी मेरी छोटी बहन है, जो कक्षा-11 में पढ़ रहीं थी। मेरे पिताजी ललित खेती में व्यस्त रहते हैं। मेरा भाई अंकित, उम्र 13 वर्ष व उससे छोटी बहन मन्नू है। तीनों घर पर रह कर पढ़ते हैं। मैं अपनी ननिहाल ग्राम नयाबांस में वर्ष 2017 से अपने नाना नानी के पास रहकर पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ। वहाँ से हाईस्कूल व इण्टर की परीक्षा पास की है और अब बी०ए० कर रही हूँ। मेरे गाँव में रिश्ते की दादी जलेबश्री के यहाँ उनके भतीजे बालकिशन का आना जाना रहता था और बालकिशन, जलेबश्री के कहने से मेरी बहन लक्ष्मी को घर से जेवरात व रूपये निकलवा कर, बहला फुसला कर भगा ले गया। लक्ष्मी कभी ननिहाल नहीं गयी। मामा के पास जाने का झूठा बयान दिया है। मैं अपनी ननिहाल में ही रहती हूँ।

केस डायरी के पर्चा सं०-18, दिनांकित 20-11-2022 में सी०डी०आर० से अभियुक्त बालकिशन के मोबाइल नं०-8090961439 से अपहृता लक्ष्मी के मोबाइल नं०-8273273415 पर घटना दिनांक 25-05-2022 से पूर्व कई तिथियों में लम्बी वार्ता हुई, लेकिन दिनांक 25-05-2022 के बाद दोनों मोबाइल स्विच ऑफ हो गये।

केस डायरी के पर्चा सं०-19, दिनांकित 08-12-2022 में **वादी ललित कुमार के विवेचक ने पुनः मजिद बयान लिए**, जिसमें वादी ललित कुमार ने कहा कि लक्ष्मी को बालकिशन, जलेबश्री की सहायता से बहला फुसला कर भगा ले गया था। उसने बड़ी सोच समझकर मोबाइल में सिम दूसरे के नाम से चलाई। जलेबश्री ने अपनी जेठानी के लड़की धीरू से यह सिम बदलवाई थी। धीरू ने अपनी बुआ के लड़के शिवम (मैनपुरी) के नाम से सिम निकलवा कर मेरी पुत्री को दी थी, जिसका नं०-8273273415 है। धीरू ने बालकिशन को जो सिम दी थी, उसका नं०-8090961439 है। धीरू ट्रक चलाता है और धीरू ही उसके किसी साथी की सिम लेकर आया था और बालकिशन को चलाने के लिए दी थी।

धीरू द्वारा उक्त सिम में बालकिशन व लक्ष्मी आदि को चलाने के लिए दीं, इस बिन्दु पर विवेचक ने कोई विवेचना नहीं की है, फिर किस प्रकार वादी पक्ष को अभियुक्ता द्वारा किये गये षडयंत्र का पता चल गया? जबकि उसने कहा कि उसका मुल्जिम के घर आना जाना नहीं है। धीरू अपने साथी की सिम लेकर आया था, उसने बालकिशन को चलाने के लिए दी

थी, यह बात जेलबन्धी ने खुद मौहल्ले की कई महिलाओं को बताई थी। मौहल्ले की किन महिलाओं ने यह बात बताई थी, यह वादी ने अपने बयान में स्पष्ट नहीं किया है।

अभियुक्त बालकिशन की गिरफ्तारी का उल्लेख केस डायरी के पर्चा सं०-23, दिनांकित 22-01-2023 में अंकित है और उसके विरुद्ध धारा-366, 376 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गयी।

केस डायरी के पर्चा सं०-25, दिनांकित 19-02-2023 में अभियुक्ता जलेबन्धी के विरुद्ध धारा-16/17 पोक्सो अधिनियम की बढ़ोत्तरी करते हुए अग्रिम विवेचना धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं० व धारा-3/4 एवं 16/17 पोक्सो अधिनियम में की जायेगी।

केस डायरी के पर्चा सं०-28, दिनांकित 12-03-2023 में विवेचक सुनील चन्द्र, उ०नि० ने अभियुक्त बालकिशन के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल करते हुए अभियुक्ता जेलबन्धी के विरुद्ध विवेचना प्रचलित रखी।

विवेचक ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को प्रार्थनापत्र कागज संख्या-109/28 में मोबाइल सं० -8273273415, 7078456956, 8090961439, 8192952891 व 9837510950, की सी०डी०आर० व आई०डी० प्राप्त करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसके उपरान्त कागज संख्या-109/29 लगायत 109/49, सी०डी०आर० का विवरण प्राप्त करके केस डायरी का अंश बनाया, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि मोबाइल नं० -8090961439 (एयरटेल) अमरीश पुत्र खुशीराम, मौहल्ला शानपुर, नवदिया कटरा, मीरनपुर, शाहजहाँपुर, उ०प्र० के नाम से जारी है और उसका आधार कार्ड सं०-800746062330 की छायाप्रति संलग्न की है। उक्त अमरीश का प्रस्तुत मामले से कोई संबंध नहीं है।

दूसरी सिम नं०-8273273415 (एयरटेल) शिवम कुमार पुत्र अमोद कुमार, प्रहलादपुर, बरनाहल, मैनपुरी, उ०प्र० के नाम से जारी किया गया है और उक्त शिवम कुमार का आधार कार्ड सं० -914749977503 की छायाप्रति संलग्न की है। शिवम कुमार भी प्रस्तुत मामले में पक्षकार नहीं है।

अन्तिम आख्या संख्या-858/2023, दिनांकित 19-06-2023, मुकदमा अपराध संख्या-252/2022 से संबंधित है, के पूर्व विवेचक श्री सुनील चन्द्र, उ०नि० द्वारा अभियुक्ता जलेबन्धी के विरुद्ध अग्रिम विवेचना करते हुए केस डायरी के पर्चा सं०-29 लगायत 31 से अभियुक्ता की तलाश में किता किया, लेकिन जलेबन्धी दस्तयाब नहीं हुई। केस डायरी के पर्चा सं०-32, दिनांकित 17-05-2023 में सुमेश बाबू ने कहा कि प्रार्थी की छोटी भोजाई जेलबन्धी पत्नी धर्मवीर को इस मुकदमे में झूठा फंसाया जा रहा है।

सुमेश ने 11 लोगों के शपथपत्र विवेचक को प्रस्तुत किये। शपथपत्र दाखिल करने वाले लोगों में अजय बाबू, नारायण देवी, विजय सिंह, रमेश चन्द्र, श्रीमती रुमा देवी, अखैराम, बनी सिंह, हरिश्चन्द्र, राजपाल,

होतीराम, रिषीपाल शामिल हैं, जिनका विस्तृत उल्लेख विवेचक ने केस डायरी के पर्चा सं०-33, दिनांकित 27-05-2023 में करते हुए कहा कि जलेबश्री का उक्त मुकदमे से कोई संबंध नहीं है। अभियुक्त बालकिशन से पैसों के लेनदेन को लेकर झगड़ा हो गया था, इस कारण जलेबश्री का बालकिशन से कोई सम्पर्क नहीं था। लक्ष्मी को भगाने में जलेबश्री का कोई हाथ नहीं है। उसे झूठा फंसाया जा रहा है।

केस डायरी के पर्चा सं०-34, दिनांकित 19-06-2023 में विवेचक ने अब तक की गयी विवेचना के आधार पर आरोपी जलेबश्री की संलिप्तता न पाते हुए अन्तिम आख्या दाखिल कर विवेचना समाप्त कर दी। इसी अन्तिम आख्या के विरुद्ध वादी ललित कुमार ने अपनी आपत्ति दाखिल की है।

अन्तिम आख्या में प्रार्थी होतीलाल ने अपना शपथपत्र दिनांक 04-9-2023 को एवं प्रार्थी राजपाल ने अपना शपथपत्र दिनांक 02-9-2023 को दाखिल किया है और यह कहा कि प्रार्थीगण ने पूर्व में अपने शपथपत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद के यहाँ दिनांक 24-04-2023 को दिया था। सही तथ्यों की जानकारी होने के बाद यह शपथपत्र दिये जा रहे हैं। इन शपथपत्रों को दौरान विवेचना विवेचकों को क्यों नहीं दिया, इसका कोई कारण नहीं बताया। इन शपथपत्रों को पत्रावली में रखे जाने का आदेश पारित करने की प्रार्थना की। दोनों शपथपत्र उनके आधार कार्ड की छाया प्रतियों से समर्थित हैं। शपथपत्रों व आधार कार्ड पर अंकित फोटो का मिलान, विवेचक को दिये गये शपथपत्र राजपाल और होतीलाल, कागज संख्या-5 ब/26 लगायत 5 ब/31 में चस्पा फोटो से मिलान किया गया, दोनों शपथपत्रों पर चस्पा फोटो व आधार कार्ड की छाया प्रतियां एक समान हैं। दोनों शपथपत्रों में विपरीत तथ्यों का हवाला दिया गया है।

पूर्व शपथपत्र में जलेबश्री का अपने भाई धनीराम व भतीजे बालकिशन से रूपयों के लेनदेन के कारण कोई संबंध होना नहीं कहा है और नवीन शपथपत्रों में कहा कि जलेबश्री कभी भी बीमार नहीं रहती थी। वह पूर्ण रूप से स्वस्थ थी। उसके अपने भाई धनीराम व भतीजे बालकिशन से अच्छे संबंध हैं, कोई विवाद नहीं है। लक्ष्मी को अपने भतीजे बालकिशन के साथ भगाने में अभियुक्ता जलेबश्री का पूर्ण संरक्षण रहा है। दोनों शपथकर्ता होतीलाल और राजपाल ने पूर्व शपथपत्रों से विपरीत शपथपत्र दाखिल किये हैं। अन्तिम आख्या की सुनवाई के समय इन नवीन शपथपत्रों को, इस स्तर पर विधि अनुसार संज्ञान में लिए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

वादी ललित कुमार ने प्रोटेस्ट के विरुद्ध अपनी आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कहा कि तलाश करने पर पता चला कि अभियुक्त बालकिशन व बुआ जलेबश्री ने वादी की पुत्री लक्ष्मी को बहला फुसला कर, जेवरात व रूपये, मोबाइल लेकर दिनांक 25-05-2022 की रात्रि में 10:00 बजे ले गये। जलेबश्री, वादी की पुत्री को एटा तक बालकिशन के साथ छोड़ कर आई थी। जलेबश्री के सहयोग से ही अपराध किया गया है।

वादी ने कहा कि उक्त तथ्य तलाश करने पर पता चला है, जबकि केस डायरी के पर्चा सं०-10 में वादी ने तलाश करने पर नहीं, बल्कि अपने प्रथम मजीद बयान में कहा कि उक्त तथ्य के बारे में पीड़िता लक्ष्मी ने उसे बताया था और उसी के बताये आधार पर वादी ने विवेचक को मजीद बयान दिया था और यह भी कहा कि बालकिशन उसकी पुत्री को बस में बैठाकर लुधियाना, पंजाब ले गया था और इसके विपरीत यह भी कहा कि बालकिशन मेरी पुत्री को दिनांक 26-05-2022 को अपनी ननिहाल घिलौआ, एटा जेल के पीछे लेकर गया और वहीं पर दोनों दिनांक 30-05-2022 तक साथ रहे। मैं अपनी पुत्री के बताये अनुसार ही सही बात बता रहा हूँ। वादी के दोनों बयान विरोधाभासी हैं।

वादी ललित कुमार ने आपत्ति में कहा कि लक्ष्मी को बालकिशन, मेरे गाँव में अपनी बुआ जलेबश्री के घर आजा जाता था, उसी की मदद से भगा कर ले गया। उसने बड़ी सोच समझ कर मोबाइल में सिम दूसरे के नाम से चलाई है। जलेबश्री ने अपनी जेठानी के लड़के धीरू से यह डलवाई थी। धीरू ने अपनी बुआ के लड़के शिवम पुत्र अमोद कुमार के नाम से सिम निकलवा कर मेरी पुत्री को दी थी, जिसका मोबाइल नं०-8273273415 है और बालकिशन के पास सिम नं०-8090961439 है। धीरू टूक चलाता है, वही अपने किसी साथी से सिम लेकर आया था और उसने बालकिशन को सिम चलाने को दी थी। यह बात जलेबश्री ने खुद मौहल्ले की कई महिलाओं को बताई थी। वादी ने यह नहीं बताया कि जलेबश्री ने मौहल्ले की किन महिलाओं को यह बात बताई थी कि जलेबश्री ने अपनी जेठानी के लड़के धीरू से शिवम या अन्य के नाम से सिम निकलवा कर उसकी पुत्री को दिलाया था अथवा स्वयं चला रहा है। इस तथ्य को विवेचक ने भी केस डायरी में समर्थित नहीं किया है और ना ही जलेबश्री की जेठानी के लड़के धीरू अथवा शिवम की सिम की बावत कोई विवेचना की है।

विवेचक ने कागज संख्या-109/28 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को 5 सिम नम्बर की सी०डी०आर० निकवाने के लिए प्रार्थनापत्र दिया था, जिसमें से सिम नं०-8273273415 शिवम, निवासी मैनपुरी के नाम से जारी की गयी थी, जो पीड़िता लक्ष्मी के पास से बरामद हुई थी। दूसरी सिम नं०-8090961439 बालकिशन के पास से बरामद हुई थी, यह अमरीश, निवासी शाहजहाँपुर के नाम से जारी की गयी थी। उक्त दोनों सिम कार्ड एयरटैल कम्पनी के थे और दोनों सिमों के साथ शिवम और अमरीश के आधार कार्ड संलग्न हैं।

सिम नं०-8192952891 जलेबश्री के नाम से (एयरटैल) जारी है, जिसे विवेचक ने प्रमाणित किया है। विवेचक ने सी०डी०आर० का विवरण एवं एयरटैल कम्पनी द्वारा शिवम व अमरीश के पक्ष में जारी किये सिम नम्बरों के, प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र अन्तर्गत धारा-65 साक्ष्य अधिनियम संलग्न नहीं किया है। शेष दो सिम नं०-7078456956 एवं 9837510950 किसके नाम जारी किये गये हैं और उनको कौन उपयोग कर रहा था, इस बावत विवेचक ने सी.डी. के किसी पर्चे में उसका कोई उल्लेख नहीं किया है।

वादी ललित कुमार से गवाह अवनीति ने कहा कि बालकिशन अपनी बुआ जलेबश्री के सहयोग से लक्ष्मी को बहला फुसला कर ले गया था। पीड़िता लक्ष्मी घर से जो रूपये और जेवरात लेकर गई थी, वह इन्होंने लक्ष्मी से ले लिए हैं और बालकिशन ने मेरी भांजी के साथ गलत काम भी किया है। अवनीति, ललित के साले रकेन्द्र सिंह की पत्नी है और उसने लक्ष्मी द्वारा ले जाये गये रूपये व जेवरात को अभियुक्त बालकिशन व जलेबश्री द्वारा लेना कहा है। इस बावत विवेचक ने केस डायरी में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया है और ना ही रूपया, जेवरात बरामद किया है।

पीड़िता लक्ष्मी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० में जेवरात व नगद पचास हजार रूपये ले जाने का कथन नहीं किया है, बल्कि स्वयं वादी ललित ने अपनी तहरीर व बयान एवं मजीद बयानों में पचास हजार रूपये नगद, एक जोड़ी झाले, चार अंगूठी, एक जोड़ी टॉप्स, एक लर पेण्डल और 100 ग्राम की चाँदी की तोड़िया ले जाना कहा है। यह तथ्य इनको कैसे मालूम, स्पष्ट नहीं किया है, परन्तु पीड़िता ने इस तथ्य को कभी स्वीकार नहीं किया और ना ही उक्त जेवरात व रूपये ले जाना कहा है। चूंकि अवनीति, ललित के साले की पत्नी है, इसलिए वह हितबद्ध साक्षी है, जो वादी के बताये अनुसार बयान दे रही प्रतीत होती है।

वादी ललित ने साक्षी कु० अन्नू, जो वादी ललित की बड़ी पुत्री है और उसके स्वयं के कथनानुसार वह अपने मामा-मामी व नाना-नानी के घर पर वर्ष 2017 से रह रही है और उसने वहीं से हाईस्कूल व इण्टर की परीक्षा पास की है और अब बी०ए० पढ़ना कहा है। उसने भी उक्त जेवरात व नगद रूपये बालकिशन को लक्ष्मी द्वारा देना कहा है। यह बात अन्नू को कैसे मालूम, यह स्पष्ट नहीं किया है, क्योंकि घटना के समय वह लक्ष्मी के घर पर भी नहीं रहती थी, उसके बावजूद विवेचक ने उक्त नगद पचास हजार रूपये व जेवरात बालकिशन से अथवा अन्य किसी व्यक्ति से बरामद होना केस डायरी में अंकित नहीं किया है।

वादी ललित ने कहा कि उसकी पुत्री ने सी०डब्लू०सी० के सामने दिनांक 20-03-2023 को कहा कि बालकिशन का फोन आया था, वह मेरी चचेरी दादी का खास भतीजा है। हमारी बात होने लगी। अन्तिम बार फोन दिनांक 25-05-2022 को आया था। मैं अपने साथ एक जोड़ी झाले, एक जोड़ी टॉप्स, चार अंगूठी एवं एक लर पेण्डल, नांक का फूल, सभी सोने के, एक जोड़ी चाँदी की पायल व पचास हजार रूपये लेकर गयी थी। मेरे कागज भी साथ में थे। बालकिशन ने मेरा सारा सामान ले लिया और मैं सी०डब्लू०सी० के सामने सही बात बता रही हूँ। इस तथ्य को पीड़िता ने अपने पूर्व बयान धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० में कभी नहीं कहा और सी०डब्लू०सी० के समक्ष अन्य जेवरात के अतिरिक्त सोने का, नांक का फूल और अपने कागजात भी ले जाना प्रथम बार कहा है, जबकि पीड़िता अपनी पिता के साथ निवासी कर रही थी।

जहाँ तक अन्य साक्षियों एवं अभियुक्त द्वारा विवेचक को दिये बयान धारा-161 दं०प्र०सं० में घटना का समर्थन करने का प्रश्न है, वह

अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में इसलिए ग्राह्य नहीं होंगे, क्योंकि उक्त बयान विवेचक द्वारा बिना शपथ के लिये जाते हैं। **माननीय उच्चतम न्यायालय ने मुसाउद्दीन अहमद बनाम आसाम राज्य 2009 (66) ACC 682 सु०को०** में यह प्रतिपादित किया है कि यदि पीड़िता के द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान एवं धारा-164 द०प्र०सं० के कथनों में गम्भीर विरोधाभास हो, तो यह अभियोजन के मामले को संदेहास्पद बनाता है। धारा-164 द०प्र०सं० के अन्तर्गत अंकित बयान मौलिक साक्ष्य नहीं है और न ही इसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है। धारा-161 द०प्र०सं० एवं धारा-164 द०प्र०सं० के अन्तर्गत अंकित कथनों का उपयोग केवल कथन करने वाले **व्यक्ति के कथनों को खण्डित करने एवं सम्पोषित करने** के लिए किया जा सकता है। इस संदर्भ में **माननीय उच्च न्यायालय ने विधि व्यवस्था नबी बनाम उ०प्र० राज्य-1999 (2) क्राइस 272** में यह अवधारित किया है कि धारा 164 द०प्र०सं० के अन्तर्गत अंकित कथनों को सारवान साक्ष्य के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। इस कथन का प्रयोग मात्र धारा 145 व धारा 157 साक्ष्य विधि के अन्तर्गत साक्षी के कथन को सम्पुष्ट करने एवं उसके कथन को खण्डित करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। उपरोक्त के अनुसार पीड़िता या साक्षी का बयान धारा-161 द०प्र०सं०, बिना खण्डन का अवसर दिये, उक्त साक्षी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

वादी ललित कुमार ने कहा कि विवेचक ने अग्रिम विवेचना जारी रखते हुए अभियुक्ता श्रीमती जलेबश्री से मिलकर उसे लाभ पहुंचाने के लिए उसके रिश्तेदारों के झूठे शपथपत्र लेकर अन्तिम आख्या प्रस्तुत कर दी है। शपथपत्र देने वालों में सुमेश बाबू, अभियुक्ता जलेबश्री के जेठ हैं, अजय बाबू, रुमा देवी व रमेश चन्द्र, सादू, साली व पिता हैं। हरिश्चन्द्र व विजय सिंह का वादी ललित कुमार से जमीन संबंधी मुकदमा चल रहा है। नरायन देवी, हरिश्चन्द्र की पत्नी है। राजपाल, सुमेश का ममेरा साला है और अखैराम ने जलेबश्री की शादी कराई थी, इसी कारण उपरोक्त लोगों ने जलेबश्री के समर्थन में शपथपत्र विवेचक को दिये हैं।

वादी ललित कुमार ने उपरोक्त तर्कों के समर्थन में, कि सभी अभियुक्ता जलेबश्री के रिश्तेदार हैं, की बावत कोई साक्ष्य इस आपत्ति के साथ प्रस्तुत नहीं किया है और हरिश्चन्द्र, विजय सिंह से जमीनी रंजिश की बावत कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट या किसी न्यायालय में लम्बित कोई मुकदमा, आदेश या निर्णय आदि अपनी आपत्ति के साथ प्रस्तुत नहीं किया है, मात्र कथन किये हैं, जो किसी युक्तियुक्त साक्ष्य से समर्थित न होने के कारण पोषणीय नहीं है।

वादी ललित ने आपत्ति में यह भी कहा कि शपथकर्ता होतीलाल व राजपाल ने कोई शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया है और ना ही अपने हस्ताक्षर किये हैं, जबकि होतीलाल व राजपाल ने दिनांक 25-09-2023 को इस अन्तिम आख्या की पत्रावली में प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए स्वीकार किया कि सुमेश बाबू ने यह कह कर हमारे हस्ताक्षर कराये थे कि उक्त मामले की अभियुक्ता जलेबश्री की जमानत के लिए आवश्यकता है, उसमें आपके आधार कार्ड व फोटो लगेंगे। दोनों शपथपत्रों में विपरीत

कथन कहे गये हैं और दोनों शपथकर्ता होतीलाल व राजपाल के फोटो तथा आधार कार्ड की छाया प्रतियां संलग्न हैं, जिनसे प्रथम दृष्टया यह उपधारणा की जाएगी कि उक्त शपथपत्र भी होतीलाल व राजपाल द्वारा सुमेश बाबू के माध्यम से निष्पादित कराकर विवेचक को दिये गये थे।

वादी ललित कुमार द्वारा अभियुक्ता जलेबश्री का लीवर खराब होने के कारण बीमारी से ग्रस्त होना कहा और उसे चलने-फिरने में असमर्थ बताया, परन्तु विवेचक ने अभियुक्ता की बीमारी से संबंधित इलाज के पर्चे प्रस्तुत नहीं किये। अस्पताल और डाक्टर का बयान भी दर्ज नहीं किया है। वादी ललित ने स्वयं माना कि अभियुक्ता जलेबश्री को कोई बीमारी नहीं है और इसी कारण विवेचक ने केस डायरी में जलेबश्री की बीमारी का उल्लेख नहीं किया है, केवल लोगों के बताये अनुसार जलेबश्री की तबियत खराब होना कहा है। यदि वादी ललित के संज्ञान में यह तथ्य था कि अभियुक्ता जलेबश्री लीवर आदि बीमारी से ग्रसित है, तो उन्हें अपनी आपत्ति के साथ जलेबश्री की बीमारी आदि के पर्चे दाखिल करने चाहिए थे, जो जलेबश्री के विरुद्ध बेहतर साक्ष्य होता।

वादी ललित ने, विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य व प्रपत्रों के आधार पर अन्तिम आख्या संख्या-858/2023, दिनांकित 19-6-2023 को निरस्त करके अभियुक्ता श्रीमती जलेबश्री के विरुद्ध धारा-363, 366 भा०दं०सं० व धारा-16/17 पोक्सो अधिनियम में संज्ञान लेकर तलब कर अधिकतम दण्ड से दण्डित किए जाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी ललित कुमार ने घटना दिनांक 25-05-2022, रात्रि 10:00 बजे की सूचना थाना नारखी पर अगले दिन दिनांक 26-05-2022 को 10:30 बजे अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध, धारा-363 भा०दं०सं० में अपनी पुत्री लक्ष्मी, उम्र 16 वर्ष, पचास हजार रूपये नगद, एक जोड़ी झाले, चार अंगूठी, एक जोड़ी टॉप्स, एक लर पेण्डल और 100 ग्राम चाँदी की तोड़िया लेकर घर से गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करायी है। वादी ललित ने अभियुक्त बालकिशन व तथाकथित सह-अभियुक्ता जलेबश्री के विरुद्ध रिपोर्ट नामजद थाने में दर्ज नहीं कराई, जबकि दोनों व्यक्ति उसी के गाँव के रहने वाले हैं और इनका एक दूसरे के घर में आना जाना भी है।

श्री राकेश सिंह यादव, उ०नि० द्वारा विवेचना थाना नारखी से किए जाने के दौरान वादी ललित कुमार ने श्री एस०पी० सिंह बघेल, सांसद के लेटर पैड के साथ एक प्रार्थनापत्र पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को विवेचना (स्थानान्तरित कराने) किसी अन्य विवेचक से कराये जाने हेतु प्रेषित किया। राजनैतिक दबाव के कारण पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद ने उक्त विवेचना थाना नारखी के श्री राकेश सिंह यादव, उ०नि० से स्थानान्तरित करके थाना पचोखरा में श्री सुनील चन्द्र, उ०नि० को हस्तान्तरित कर दी। विवेचक ने इस तथ्य का उल्लेख केस डायरी के पर्चों में किया है।

विवेचना के दौरान अभियुक्तगण बालकिशन व जलेबश्री का नाम प्रकाश में आया। पीड़िता लक्ष्मी ने स्वयं को धारा-161 दं०प्र०सं० के बयान में 19 वर्ष का और 12 वीं कक्षा पास करना कहा है और यह भी

कहा कि उसने बालकिशन से शादी कर ली है और उसके साथ पति-पत्नी की तरह रह रही है। वह अपने घर वापस मम्मी-पापा के पास नहीं जाना चाहती है। जबकि सी०एम०ओ०, फिरोजाबाद द्वारा पीड़िता लक्ष्मी की उम्र लगभग 17 वर्ष निर्धारित की गयी।

पीड़िता लक्ष्मी ने डा० प्रेरणा कौशल को अपना चिकित्सीय परीक्षण कराने से इन्कार किया, जिसका उल्लेख विवेचक ने केस डायरी के पर्चों में किया है। पीड़िता ने बयान धारा-164 दं०प्र०सं० में कहा कि वह 24 तारीख की रात को माँ-बाप से, काम की कहने की बात पर गुस्सा होकर अपने मामा के घर चली गयी थी और दिनांक 30-05-2022 को वापस आ गयी थी। पीड़िता ने पुनः कहा कि वह अपने माँ-बाप के पास नहीं जाना चाहती है। वह अपनी मर्जी से घर छोड़ कर गयी थी। वह अपने चाचा-चाची के पास जाना चाहती है।

विवेचक ने पीड़िता के बयान धारा-164 दं०प्र०सं० अंकित कराने के बाद ननिहाल में जाकर पीड़िता के मामा-मामी एवं नाना-नानी का बयान अंकित किया, तब विवेचक को पीड़िता के ननिहाल वालों से पता चला कि उनकी भांजी लक्ष्मी को बालकिशन अपनी बुआ जलेबश्री के सहयोग से बहला फुसला कर भगा ले गया है। पीड़िता लक्ष्मी के मामा, नाना ने स्पष्ट रूप से माना कि लक्ष्मी ननिहाल में पिछले तीन वर्ष से नहीं आई है, जबकि बालकिशन और जलेबश्री का घर, पीड़िता लक्ष्मी के ननिहाल में नहीं है, बल्कि पीड़िता के गाँव में है।

पीड़िता की बड़ी बहन अन्नू, जो अपने नाना के घर में वर्ष 2017 से रह कर शिक्षा ग्रहण कर रही है, उसने भी कहा कि लक्ष्मी को बालकिशन और जलेबश्री ले गये हैं। यह बात उसे कैसे मालूम, उसने नहीं बताया और उसने यह भी कहा कि लक्ष्मी कभी मामा के घर नहीं आई है। विवेचक ने सी०डब्लू०सी० की सिफारिश पर पुनः धारा-164 दं०प्र०सं० का बयान कराने की योजना बनाई, परन्तु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 07-06-2022 से उक्त प्रार्थनापत्र निरस्त किया गया। फलस्वरूप पीड़िता का बयान धारा-164 दं०प्र०सं० पुनः अंकित नहीं हुआ, जबकि वादी ललित ने धारा-161 दं०प्र०सं० में बयान देने के बाद दो बार मजीद बयान, पूर्व बयानों से भिन्न बयान विवेचक को अंकित कराये हैं।

विवेचना के दौरान मोबाइल सं०-8273273415, 7078456956, 8090961439, 8192952891 व 9837510950 प्रकाश में आये, जिनकी सी०डी०आर० व अन्य जानकारी से यह पता चला कि मोबाइल सं०-8273273415 शिवम, निवासी मैनपुरी के नाम से है, जिसे पीड़िता लक्ष्मी चला रही थी और मोबाइल सं०-8090961439 एयरटेल, अमरीश के नाम से है, जिसे अभियुक्त बालकिशन द्वारा उपयोग करना कहा एवं मोबाइल सं०-8192952891 एयरटेल, जलेबश्री के नाम से जारी किया गया है। शेष दोनों मोबाइल सं०-7078456956 व 9837510950 की सिम किसके नाम से जारी की गयी है और कौन इनका उपयोग कर रहा था, इसके बारे में कोई सूचना केस डायरी में नहीं है।

विवेचक श्री सुनील चन्द्र, उ०नि० ने अभियुक्त बालकिशन के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल करने के उपरान्त अग्रिम विवेचना सह - अभियुक्ता श्रीमती जलेबश्री के विरुद्ध करते हुए, केस डायरी में उल्लिखित सुमेश बाबू द्वारा दिये गये 11 शपथपत्रों, जिनमें दो शपथकर्ताओं होतीलाल व राजपाल ने पुनः शपथपत्र पत्रावली में प्रस्तुत करके, पूर्व दिये शपथपत्रों का खण्डन किया है, के आधार पर जलेबश्री की उपरोक्त अपराध में, विधि एवं नियमानुसार संलिप्तता न पाते हुए अन्तिम आख्या संख्या-858/2023, दिनांकित 19-06-2023 पत्रावली में दाखिल की है। अन्तिम आख्या के विरुद्ध वादी ललित कुमार की आपत्ति पोषणीय नहीं है। विवेचक द्वारा की गयी विस्तृत विवेचना में विवेचक ने सभी सम्भावित तथ्यों एवं बिन्दुओं पर विधिनुसार विवेचना करके जलेबश्री के विरुद्ध अन्तिम आख्या न्यायालय में प्रेषित की है, जो स्वीकार करके वादी ललित की आपत्ति निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अन्तिम आख्या संख्या-858/2023, दिनांकित 19-06-2023, ललित कुमार बनाम श्रीमती जलेबश्री, अपराध संख्या-252/2022, अन्तर्गत धारा-363, 366 भा०दं०सं० व धारा-16/17 पोक्सो एक्ट, थाना-नारखी, जिला फिरोजाबाद, स्वीकार करते हुए वादी ललित कुमार की आपत्ति तद्रुसार निरस्त की जाती है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक: 12-10-2023

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।